ORDER SHEET

REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY, MUNGER

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the RTA	Office action taken with date
1	2	3	4

—: आदेश :—

प्रस्तुत मामले की कार्रवाई राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना द्वारा वाद सं0–T.R 03/2024 विभूतिनाथ झा बनाम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर में पारित आदेश दिनांक–02.04.2025 के आलोक में प्रारंभ की गई, जो निम्नवत है:–

1. *"In view of above the order dated 28.10.2024 passed by Chairman, Regional Transport Authority, Munger is here by set aside. The authority concerned is directed to pass fresh orer after giving adequate opportunity of hearing and observinh legal procedure established by las accordingly the appeal stands disposed of."*

2. (i) मामले का सारांश यह है कि दिनांक–09.02.2024 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की बैठक में श्री विभूतिनाथ झा के वाहन सं0–BR19D–4249 के परमिट आवेदन को आपत्तिकर्त्ता श्री सर्वेश्वर कुमार चौधरी के द्वारा दो वाहनों से की गई आपत्ति के आलोक में लंबित रखा गया। श्री सर्वेश्वर कुमार चौधरी के अन्य वाहन सं0–BR34P-9018 का प्रदूषण प्रमाण–पत्र दिनांक–06.01.2024 के बैठक में समय अद्यतन नहीं रहने के कारण उनके वाहन सं0–BR34P-9118 का परमिट आवेदन अस्वीकृत किया गया तथा श्री चौधरी द्वारा वाहन सं0–BR11PB-9518 का परमिट आवेदन वापस ले लिया गया। इस प्रकार दोनों आपत्ति को खारिज करते हुए दिनांक–09.07.2024 को श्री विभूतिनाथ झा के वाहन सं0–BR19D-4249 का परमिट आवेदन स्वीकृत किया गया।

(ii) श्री झा द्वारा वाहन सं0–BR19D-4249 के कागजात के रूप में समर्पित M-Parivahan की छायाप्रति के आधार पर दिनांक–22.07.2024 को उक्त वाहन को परमिट सं0–BR2024-SC-1300A निर्गत किया गया।

(iii) श्री रितु राज कुमार द्वारा दिनांक–25.07.2024 को एक परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि श्री विभूतिनाथ झा के वाहन सं0–BR19D-4249 के परमिट में सोनवर्षाघाट में समय 08:16 पूर्वाह्न का प्रकाशन किया गया है, किन्तु श्री झा द्वारा समय सारणी में बदलाव कर सोनवर्षाघाट में 08:10 पूर्वाह्न पर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

(iv) कार्यालय के संज्ञान में आते ही श्री झा से इस संबंध में कार्यालय में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। श्री झा द्वारा दिनांक–27.07.2024 को कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप से स्वीकार किया गया कि *"मेरे वाहन सं0–BR-19D-4249 के परमिट में गाड़ी के ड्राईवर और कंडेक्टर के द्वारा परमिट के समय सारणी में छेड़–छाड़ सोनवर्षाघाट में मेरे परमिट के अनुसार समय है 08:16 पूर्वाह्न जिसको कि बदल कर 08:10 पूर्वाह्न किया गया है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी मुझे जानकारी R.T.A ऑफिस आने के बाद मिली है। जिसके लिए मैं अपने स्टॉफ पर त्वरित कार्रवाई करने का वचन देता हूँ और श्रीमान् को मैं आश्वस्त करता हूँ कि इस तरह कि गलती दुबारा नहीं होगी।"*

ORDER SHEET

REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY, MUNGER

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the RTA	Office action taken with date
1	2	3	4
		(v) पुनः श्री रितु राज द्वारा दिनांक—11.09.2024 को कार्यालय में इसी संबंध में परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसकी जॉच हेतु पत्रांक—317, दिनांक—18.09.2024 के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेशित किया गया। (vi) इसी क्रम में दिनांक—24.09.2024 की बैठक में प्राधिकार के संज्ञान में आया कि श्री झा के वाहन सं0—BR19D-4249 का बीमा दिनांक—15.03.2024 को समाप्त हो चुका था, जबकि श्री झा द्वारा उक्त वाहन का परमिट उठाव करते समय M-Parivahan की जो छायाप्रति संलग्न की गई थी, उमसें बीमा की वैधता 17.07.2025 अंकित था। बैठक में यह तथ्य संज्ञान में आने पर वाहन सं0—BR19D-4249 की Online जॉच की गई तो पाया गया कि वाहन सं0—BR19D-4249 का बीमा दिनांक—15.03.2024 तक ही वैध था। स्पष्ट है कि श्री झा द्वारा परमिट उठाव हेतु M-Parivahan की जो छायाप्रति संलग्न की गई थी, उसके बीमा अवधि में छेड़छाड़ कर बीमा की अवधि की तिथि 15.03.2024 के स्थान पर 17.07.2025 किया गया था। (vii) वाहन संख्या सं0—BR19D-4249 के परमिट का उठाव करते समय M-Parivahan की प्रति में बीमा अवधि की तिथि में छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा करते हुए परमिट का उठाव करने हेतु श्री झा से पत्रांक—323, दिनांक—28.09.2024 द्वारा स्पष्टीकरण कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। साथ ही परमिट के समय—सारणी में छेडछाड़ के दूसरे मामले हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को पत्रांक—322, दिनांक—28.09.2024 द्वारा स्मारित किया गया। 3. (i) जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक—1078, दिनांक— 08.10.2024 द्वारा मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार श्री झा द्वारा वाहन सं0—BR19D-4249 का सोनवर्षाघाट में 08:16 पूर्वाह्न के स्थान पर 08:10 पूर्वाह्न में परिचालन किया जा रहा है। प्रतिवेदन के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जो समय—सारणी की छायाप्रति संलग्न की गई है, उसमें सोनवर्षाघाट में प्रस्थान समय 08:10 पूर्वाह्न अंकित है, जबकि परमिट 08:16 पूर्वाह्न पर निर्गत है एवं प्रकाशन भी 08:16 पूर्वाह्न का ही किया गया है। (ii) बीमा अवधि की तिथि में फर्जीवाड़ा के संबंध में श्री झा का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा कहा गया है कि *"वाहन का बीमा एक बीमा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक—18.07.2024 को करवाया गया था, जिसमें बीमा में लगने वाली राशि का आंशिक भुगतान Online के द्वारा किया गया था एवं शेष बची राशि का भुगतान ऑफलाईन से किया जाना था"* *श्रीमान् को अवगत कराना चाहता हूँ कि दिनांक—13.08.2024 को मेरे साथ भयानक दुर्घटना हो गई जिसमें मेरा एक पाँव पूरी तरह से घायल हो गया। फलस्वरूप बीमा प्रतिनिधि को शेष बची हुई राशि देने में विलम्ब हो गई। इसी दरम्यान बीमा प्रतिनिधि को शेष राशि प्राप्त होने में विलंब होने के कारण उनके द्वारा मेरा उक्त बस की बीमा की अवधि समाप्त कर दी गई।*	

ORDER SHEET

REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY, MUNGER

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the RTA	Office action taken with date
1	2	3	4

विदित हो कि बीमा समाप्त होने की जानकारी मिलने पर मेरे द्वारा पुनः नयी बीमा तुरंत प्रभाव से करा ली गई। श्रीमान् को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा M-Parivahan की प्रति में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई और न ही करने की मंशा है तथा न ही मेरे पास इसके लिए कोई अनुमती लोग है।

(iii) यह उल्लेखनीय है कि बीमा कम्पनी *IFFCO- TOKIO GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED* द्वारा दिनांक–19.07.2024 को जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा को सम्बोधित पत्र में श्री झा के वाहन सं0–BR19D-4249 के बीमा के संबंध में सूचित किया है कि *"Non Receipt of Premium" Intimation Letter of Policy no MZ938516 covering Vehicle No BR19D4249 Engine No. 497TC92JYY852787 Chassis No. MAT454063B7J41434*

Please note that your payment on account of premium for the insurance cover provided by us under above mentioned cover note / policy has not been received by our bank with the remarks "Non-receipt of payment".

Kindly be advised that in terms of Section 64VB of the Insurance Act. 1938 and rules framed there under no insurer can assume any risk unless premium is paid in advance. This being the law of the land and accordingly the cover granted vide above mentioned cover note / policy becomes inoperative ab-initio, i.e. from the date and time of inception of cover and our company will not be liable for any loss or liability that might have arisen or may arise in future.

(iv) श्री झा द्वारा वाहन के बीमा के संबंध में अपने पक्ष में कोई भी साक्ष्य अथवा कागजात संलग्न नहीं किया गया और दिए गये स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्य भी संतोषजनक नहीं पाया गया है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं आरोप सही साबित होने के उपरांत श्री झा को पत्रांक–371, दिनांक–29.10.2024 के माध्यम से संसूचित करते हुए दिनांक–29.10.2024 को उनके वाहन सं0–BR19D-4249 को निर्गत परमिट सं0–BR2024-SC-1300A को निरस्त कर दिया गया।

4. ध्यातव्य हो कि श्री विभूतिनाथ झा द्वारा वाहन सं0–BR19D-4249 का परमिट निरस्त होने के बाद Tribunal वाद सं0–TA-03/24 दायर वाद में वाहन बीमा प्रमाण–पत्र या समय सारणी के साथ छेड़छाड़ संबंधी तथ्य को स्वीकार किया गया है, जो TRANSPORT APPEAL CASE NO-03/2024 में दिनांक–02.04.2025 को पारित आदेश में निम्नवत अंकित है:–

(i) *"Heard Learned counsel for the parties and perused the case record. It appears that first bone of contention in this appeal is that appellant got permit on the basis of false insurance certificate and second that there was interpolation in time of departure at Sonbarsa Ghat Appellant applied for the permit on the basis of insurance form 16.03.2023 to 15.03.2024. Permit was issued on 22.07.2024 on the basis of insurance from*

ORDER SHEET

REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY, MUNGER

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the RTA	Office action taken with date
1	2	3	4
		18.07.2024 to 17.07.2025 but virtually there was no insurance on that say and when complaint was made appellant got insurance certificate valid from 26.09.2024 to 25.09.2025. It is clear that on the date of issuance of permit on 22-07-2024 there was no valid insurance of vehicle.....So far as interpolation of insurance of timing is concerned it was admitted by the appellant himself that it was made by his driver and conductor". (ii) इस वाद में Transport Appelate Tribunal बिहार, पटना के आदेश दिनांक–02.04.2025 के अनुपालन में पुनः श्री विभूतिनाथ झा को इस कार्यालय के पत्रांक–92, दिनांक–16.04.2025 द्वारा वाहन के परमिट उठाव करते समय बीमा से आच्छादन के संबंध में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। श्री झा द्वारा इस संबंध में अपना पक्ष लिखित में समर्पित करने के साथ–साथ दिनांक–30.04.2025 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की बैठक के दौरान अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, किन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कोई संतोषजनक तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। संपूर्ण तथ्यों के विश्लेषण तथा श्री विभूतिनाथ झा के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अवलोकन एवं TRANSPORT APPEAL CASE NO-03/2024 में दिनांक–02.04.2025 को पारित आदेश में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री झा के वाहन सं0–BR19D-4249 की बीमा अवधि में M-Parivahan छेड़छाड़ कर दिनांक–22.04.2024 को परमिट का उठाव किया गया जबकि इस अवधि में उनके वाहन का बीमा नहीं था। साथ ही श्री झा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में समय सारणी में छेड़छाड़ को भी स्वीकार किया गया है। वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विभूतिनाथ झा के वाहन सं0–BR19D-4249 के निर्गत परमिट सं0–BR2024-SC-1300A को निरस्त करने का आदेश सम्पुष्ट करते हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (Sd.) 30/4/25 — जिला परिवहन पदा0, खगड़िया (Sd.) 30/4/2025 — अपर समाहर्त्ता –सह–सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर (Sd.) 30.4.25 — संयुक्त आयुक्त –सह–सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर (Sd.) — आयुक्त –सह–अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर	